

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

षष्ठम् (मानसून)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 27.07.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री आलमगीर आलम स०वि०स०	साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला के पत्थर खदान पट्टा धारकों को माइनिंग चलान विगत एक वर्ष से निर्गत नहीं किया जा रहा है, जिससे राजस्व की क्षति हो रही है साथ ही साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में माइनिंग चलान निर्गत नहीं किये जाने के कारण पत्थर खदानों से पत्थर का उठाव नहीं हो रहा है, जिससे भारी वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। अतः साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में शीघ्र माइनिंग चलान निर्गत करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	खान एवं भूतत्व
02-	श्री राज सिन्हा स०वि०स०	धनबाद की आवादी लगभग 30 लाख है, किन्तु वहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। धनबाद में एक अदद सदर अस्पताल तक नहीं है, विगत दिनों धनबाद शहर के कोर्ट मोड़ पर अवस्थित भवन परिसर में पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का शहर के अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया है। अब यह परिसर खाली है घनी आवादी होने के कारण पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पर रोगी का अत्यधिक दबाव रहता है। और उन्हें समुचित ईलाज उपलब्ध नहीं हो पाता है। अतः मैं धनबाद शहर में एक सदर अस्पताल शीघ्र ही आरम्भ करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
03-	<p>सर्वश्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, निर्भय कुमार शाहाबादी एवं श्री भानू प्रताप शाही स०वि०स०</p>	<p>पथ निर्माण विभाग द्वारा गढ़वा जिला के रमुना से मझिआँव तक 27 कि०मी० सड़क, मझिआँव से काण्डी तक 25 कि०मी० सड़क, बी० मोड़ से पाण्डेयपुरा मोड़ तक 25 कि०मी० सड़क, रंका से रमकण्डा तक, केतार से काण्डी तक एवं रमुना से डण्डई तक सड़क निर्माण में काफी अनियमितता बरती गई है, सड़क एवं पुलिया का निर्माण प्राक्कलन के अनुसार न बना कर काफी घटिया एवं निम्नस्तर के सड़क निर्माण सामग्री एवं सरीया का उपयोग किया गया है।</p> <p>अतः सदन के माध्यम से निम्नलिखित सड़कों का उच्चस्तरीय जाँच कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।</p>	<p>पथ निर्माण</p>
04-	<p>श्री मनीष जायसवाल एवं श्री मनोज कुमार यादव स०वि०स०</p>	<p>वनों एवं संरक्षित क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी आश्रयणी में अवस्थित प्राकृतिक सौन्दर्य स्थानों का ECO TOURISM विकसीत करने की योजना है। ECO TOURISM को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाना एवं ग्राम विकास समिति का गठन कर स्थानीय युवकों को नेचर गाईड रूप में प्रशिक्षित किया जाना है। ECO TOURISM के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में 8,00,00,000/- (आठ करोड़) रु० का बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही हजारीबाग कनहरी पहाड़ और उरवों तिलैया डैम सहित कई स्थानों के D.P.R. के लिए CONSULT भी बहाल किया गया है, परन्तु अबतक योजना प्रारम्भ नहीं किया गया है।</p> <p>अतः महत्वाकांक्षी योजना ECO TOURISM योजना को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान- आकृष्ट कराना चाहते हैं।</p>	<p>पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य</p>
05-	<p>श्री नलिन सोरेन स०वि०स०</p>	<p>मसानजोर डैम विस्थापित किसान संघर्ष मोर्चा (मयूराक्षी डैम) मसानजोर, दुमका के 144 मौजा के रैयतों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक वर्ष 1955-56 मसानजोर डैम निर्माण काल से 50 प्रतिशत फसल का क्षतिपूर्ति मुआवजा, वर्तमान में डैम में पानी रखने का एकरारनामा, 38 साल से बकाया</p>	<p>जल संसाधन</p>

10	फसल क्षतिपूर्ति का वर्तमान दर पर मुआवजा भुगतान, विस्थापितों को निकासी तथा विस्थापित प्रमाण पत्र, विस्थापितों के परिवार को योग्यता के आधार पर नियोजन, विस्थापितों को आवासीय भूमि की बंदोबस्ती, 144 मौजा के जमाबंदी रैयतों का जलमग्न भूमि का उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज करना, मसानजोर डैम का दायां तट नहर निर्माण व मूलभूत सुविधा अब तक नहीं दिया गया है। अतः मैं विस्थापितों के समस्याओं हेतु एक उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच समिति गठन कर पूरे मामले की जाँच के लिए सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	10
----	---	----

राँची,
दिनांक- 27 जुलाई, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-20/2016-²⁸⁸⁸...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 26/7/16

प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/खान एवं भूतत्व विभाग/ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग /पथ निर्माण विभाग/पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग एवं जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 शिराज मजीद बेटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-20/2016-²⁸⁸⁸...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 26/7/16

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

26/7/16